487

न्यायालय मे श्रीमान आयुक्त महोदय संभाग शहडोल जिला शहडोल म0प्र0

R-569-II/12

प्रदीप कुमार पिता श्री दयानाथ श्रीवास्तव निवासी उमरिया थाना उमरिया

तहसील बांधवगढ जिला उमरिया म0प्र0 ....पुनरीक्षण

बनाम

म0प्र0 शासन जरिये कलेक्टर महोदय उमरिया जिला उमरिया म0प्र0 ....

उत्तरदाता

पुनरीक्षण विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.11.2009 प्रकरण
कमांक 54/स्वयं/पुनरीक्षण /2008–2009 न्यायालय
श्री मान कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म0प्र0
अंतर्गत धारा 50(2) म0प्र0भू0रा0सं01959 के तहत्

मान्यवर

पुनरीक्षण कर्ता की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षण पेश किया जाकर विनय है कि

पुनरीक्षण के आधार

यहकि पुनरीक्षणकर्ता ग्राम दुलहरी स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 12/2 रकवा 2.000 हे0 भूमि स्वामी काबिज काश्तकार है, ग्राम वासियो द्वारा मौखिक शिकायत पर हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार अभिलेखो की जांच पश्चात तहसील बांधवगढ जिला उमरिया म0प्र0 के प्रकरण कमांक 04/बी– 121/2005–2006 मे प्रेषित प्रतिवेदन अंतिम आर्डर सीट दिनांक 23.2.2006 के अवलोकन के बाद माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्व0 पुनरीक्षण प्रकरण कायम करते हुये जबाव एवं तर्क पश्चात दिनांक 30.11. 2009 को अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जिसमे उपस्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-569-दो/2012 जिला-उमरिया

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन जरिये कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री पुष्प्रेन्द्र कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा कलेक्टर उमरिया जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 54/स्व.निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2009 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-02-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतृत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उनहें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 23/01/19

सदस्य